| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज<br><br>**न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर**<br>**फौजदारी अपील सख्या 248/2025**<br>**नितेश उर्फ सोंटी व अन्य बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री पियूष मेहरा उपस्थित। अपर लोक अभियेाजक उपस्थित।<br><br>अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण नितेश उर्फ सोंटी व रोशन कुमार का अन्य प्रकरण में जे.सी. में होना व वर्तमान प्रकरण में जमानत पर होना बताया है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br><br>विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण नितेश उर्फ सोन्टी व रोशन कुमार को आपराधिक **प्रकरण संख्या 2837/2025 उनवानी सरकार बनाम नितेश उर्फ सोन्टी व अन्य में दोषी पाकर धारा 304(2) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण को 3 वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्तगण को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है।**<br><br>अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपील के साथ ही धारा 430 बी.एन.एस.एस. के तहत सजा स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुना गया।<br><br>अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।<br><br>इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br><br>अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित दण्डादेश में पारित सजा को अपील के लम्बित रहने के दौरान स्थगित करवाना चाहा है। चूंकि अपील की सुनवाई में समय लगने की सम्भावना है। लिहाजा अपील में उठाए गए मुद्दों व अपील की सुनवाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अपीलार्थीगण को दिए गए दण्डादेश को अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 430 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि– यदि अपीलार्थी/अभियुक्त प्रत्येक की ओर से 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का मुचलका एवं | |

| | | |
|---|---|---|
| | 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) की राशि की एक संतोषप्रद जमानत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार आज आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दे कि वे इस न्यायालय में अपील की सुनवाई के दौरान अपील के निस्तारण तक प्रत्येक पेशी पर एवं जब भी न्यायालय तलब करेगा, उपस्थित होते रहेंगे। तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश की क्रियान्विती ताफैसला अपील स्थगित की जाती है।<br><br>आदेश की प्रति मय तलबशुदा अभिलेख विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि तस्दीकशुदा जमानतनामा व मुचलका एवं रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 21.08.2025 को पेश हो।<br><br>**(नीरज गुप्ता)**<br>**अपर सेशन न्यायाधीश,**<br>**क्रम–3 अजमेर** | |